

पत्रांक -8/मु 4-56/2010 मा० 432  
मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार।

प्रेषक,

अंजनी कुमार सिंह,

प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना दिनांक 31/3/11 /

विषय:- W.P (C) No 631/2004 पर्यावरण एवं उपभोक्ता संरक्षण फाउंडेशन बनाम  
दिल्ली प्रशासन एवं अन्य।

महाशय,


उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 287 दिनांक-25.02.2011 का निदेश करें। उक्त पत्र के द्वारा आपसे विषयांकित वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश/निदेश के आलोक में प्रपत्र संलग्न करते हुए प्रतिवेदन की मांग की गई थी, परंतु आपके स्तर से अभी तक प्रतिवेदन अप्राप्त है। इस बीच राज्य सरकार के सरकारी अधिवक्ता द्वारा पुनः प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु स्मार प्राप्त हुआ है।

अतः पुनः तत्संबंधी प्रपत्र संलग्न करते हुए कहना है कि संलग्न प्रपत्र में वांछित सूचना अविलंब विभाग को उपलब्ध करावें।

इसे अत्यावश्यक समझे।

अतु - प्रयोक्त

विश्वासभाजन

  
31/3/11  
(अंजनी कुमार सिंह)

प्रधान सचिव

मानव संसाधन विकास विभाग,

प्रपत्र

1	2	3	4	5	6	7	8	9
प्रपत्र का नाम	विद्यालय का नाम	बालका/बालिकाओं के लिए शौचालय की उपलब्धता की स्थिति	पेय जल की स्थिति	विद्यालय में व्हायरटीवारी उपलब्ध होने की स्थिति	मर्यादन भोजन सांचालित होने की स्थिति	विद्यालय में विजली व्यवस्था की स्थिति	विद्यालय में शिक्षक इकाई की आवश्यकता	विद्यालय में उपलब्ध शिक्षक इकाई

129